न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 74/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
घेवरचंद चौरडिया पुत्र गणेमल चौरडिया जाति ओसवाल चौरडिया निवासी ग्राम गुढा भगवानदास तहसील खींवसर हाल ग्राम गोगेलाव तहसील व जिला नागौर		1 ग्राम पंचायत गोगेलाव 2 आत्माराम पुत्र मानाराम जाति हरिजन निवासी ग्राम गोगेलाव तहसील व जिला नागौर। 3 गुलाब पुत्री स्व. भंवरलाल पत्नी किशनलाल जाति ब्राह्मण निवासी शिव मन्दिर के सामने हनुमान बाग कॉलोनी नागौर जरिये आम मुक्तियार सत्यनारायण पुत्र झुमरलाल जाति ब्राह्मण निवासी गांव संखवास तहसील मुण्डवा जिला नागौर हाल निवासी बिरलोका तहसील खींवसर जिला नागौर।

उपस्थिति–

1 श्री शफीक खिलजी अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से।
2 कान्ता बोथरा, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।
3 श्री रूघाराम जोगपाल अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।
4 श्री महेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय दिनांक 11.02.2025

1– यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गोगेलाव द्वारा मिसल संख्या 3/1995–96 में पट्टा जारी करने हेतु पारित संकल्प संख्या 8 दिनांक 15.02.1996 के जरिये दिनांक 25.03.1996 को पटटा संख्या 03 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 22.08.2019 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 13.09.2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से कान्ता बोथरा तथा अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से श्री रूघाराम जोगपाल अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। निगरानी के विचाराधीन रहते हुए दिनांक 06.12.2021 को प्रार्थिया गुलाब पुत्री भंवरलाल पत्नी किशनलाल जाति ब्राह्मण निवासी नागौर की ओर से जरिये आम मुख्तियार सत्यनारायण पुत्र झुमरलाल जाति ब्राह्मण निवासी गांव संखवास तहसील मुण्डवा जिला नागौर हाल निवासी बिरलोका तहसील खींवसर जिला नागौर की ओर से श्री महेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर एक प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का पेश किया जिनको बाद सुनवाई बतौर पक्षकार अप्रार्थी संख्या 03 रेकर्ड पर लिया गया। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में पट्टा सं. 03 की फोटोप्रति, मिसल संख्या 03/1995–96 की फोटोप्रति, न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट दीवानी मूल प्रकरण संख्या 22/16 (110/16) रमजान खां व अन्य बनाम अखाराम बागडिया व अन्य के निर्णय दिनांक 02.03.2019 की फोटोप्रति, विक्रय पत्र दिनांक 28.07.1994 की फोटोप्रति, सचिव जिला सतर्कता समिति नागौर के आदेश दिनांक 23.06.1995 की फोटोप्रति, एसडीओ नागौर के पत्र दिनांक 27.05.1995 की फोटोप्रति, शपथ पत्र रामकरण, आशाराम व हनुमानराम की फोटोप्रति, कार्यालय जिला कलक्टर नागौर (सतर्कता) की ऑडरशीट की फोटोप्रति, उपखण्ड अधिकारी नागौर की जांच रिपोर्ट की फोटोप्रति, कार्यालय जिला कलक्टर नागौर की कार्यालय टिप्पणी 20.07.2012 की फोटोप्रति, बेचाननामा दिनांक 21.01.1994 की फोटोप्रति, बेचाननामा दिनांक 14.03.19 की फोटोप्रति, अप्रार्थी संख्या 02 ने ग्राम गोगेलाव की जमाबंदी संबंत 2020–39 की फोटोप्रति, सेल्स सर्टिफिकेट के हिन्दी अनुवाद की फोटोप्रति, सेल्स सर्टिफिकेट की फोटोप्रति अप्रार्थी संख्या 03 ने बेचान रजिस्ट्री की फोटोप्रति, आम मुख्तियारनामा गुलाब देवी बहक सत्यनारायण की फोटोप्रति, शपथ पत्र मूल मुकेश पुत्र रामदेव ब्राह्मण

11/2/25

अपर कलक्टर, नागौर

निवासी हाउसिंग बोर्ड नागौर की प्रति, गुलाब देवी के आधार कार्ड की फोटोप्रति, सत्यनारायण के आधार कार्ड की फोटोप्रति, गुलाब देवी के पेन कार्ड की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ ग्राम पंचायत गोगलाव का रेकर्ड मंगाया गया।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी कि –

2(1)– ग्राम पंचायत गोगेलाव का प्रस्ताव गोगेलाव का प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 15.02.1996 सर्वथा गलत अवैध विधिविरूद्व तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2(2)– ग्राम पंचायत गोगेलाव ने पत्रावली संख्या 3/1995–96 अन्तर्गत पंचायत अधिनियम 1994 व राजस्थान पंचायत नियम 1996 में उल्लेखित प्रावधानों की पूर्ण रूप से अनदेखी करते हुए विधिविरूद्व एवं अवैध प्रस्ताव पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

2(3)–ग्राम पंचायत गोगेलाव ने अप्रार्थी संख्या 2 के हक में जो पट्टा विलेख दिनांक 25.03.1996 को जारी किया है उसका आधार संकल्प सं. 8 दिनांक 15.02.1996 के आधार पर पट्टा विलेख जारी करने का उल्लेख किया गया है जबकि पत्रावली संख्या 3/1996 की आदेशिका दिनांक 15.02.1996 के अन्तर्गत ऐसा कोई प्रस्ताव पारित होना उल्लेखित नहीं है। जब दिनांक 15.02.1996 को संकल्प संख्या 8 पारित ही नहीं हुआ और न ही आदेशिका दिनांक 15.02.1996 में ऐसे प्रस्ताव का कोई उल्लेख है फिर भी बिना प्रस्ताव पारित किये उक्त पट्टा विलेख जारी किया है जो पूर्ण रूप से अवैध एवं विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

2(4)– अप्रार्थी संख्या 1 ने वादग्रस्त भूमि का पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत की बैठक में दिनांक 15.02.1996 को ऐसा कोई प्रस्ताव पारित ही नहीं किया जब प्रस्ताव पारित ही नहीं हुआ न दिनांक 15.2.1996 को ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित हुई, न किसी प्रकार का कोई निर्णय लिया गया तो ऐसी स्थिति में बिना प्रस्ताव पारित किये जो पटटा विलेख जारी किया वह विधि विरूद्व है। पत्रावली की आदेशिका दिनांक 15.02.1996 अन्तर्गत यह उल्लेखित किया गया "मिसल सदन में प्रस्तुत की गई। प्रार्थी हाजिर है। ग्राम पंचायत के संकल्प संख्या 8 दिनांक 15.02.1996 के अनुसार आपसी बातचीत से 15 पैसे प्रति वर्ग फीट से पटटा बनाने एवं अनुमोदन हेतु एसबीएम साहब को लिखा जावे।" इस प्रकार ग्राम पंचायत आदेशिका दिनांक 15.02.1996 अन्तर्गत संकल्प संख्या 8 पारित होना नहीं पाया गया है और आदेशिका दिनांक 15.02.1996 के अन्तर्गत ही संकल्प संख्या 8 दिनांक 15.02.1996 उल्लेखित किया जा रहा है। अतः यह स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में कोई प्रस्ताव ही पारित नहीं हुआ फिर भी बिना प्रस्ताव व बिना निर्णय मनमाने तरीके से ग्राम पंचायत गोगेलाव ने अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में निगरानीकर्ता की खरीदसुदा कब्जासुद पट्टासुद भूमि का जो पट्टा विलेख अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है वह पूर्ण रूप से अवैध विधिविरूद्व तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के विपरित होने से निरस्त किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

2(5)–अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में 10234 वर्गफीट का पटटा जारी किया गया जबकि इतने क्षेत्रफल की भूमि का पटटा बिना पूर्व अनुमति के अप्रार्थी संख्या 1 द्वार अपने स्तर पर जारी नहीं किया जा सकता। उक्त पटटा जारी करने से पूर्व विकास अधिकारी से किसी प्रकार की कोई स्वीकृति/अनुमति अथवा अनुमोदन प्राप्त नहीं किया। इस प्रकार बिना अनुमोदन के एवं बिना स्वीकृति एवं बिना प्रस्ताव के अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पट्टा विलेख जारी किया गया जो निरस्त किये जाने योग्य है।

2(6)–ग्राम पंचायत गोगेलाव ने पत्रावली संख्या 3/1995–96 के प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 15.02.1996 अन्तर्गत इस जमीन को अप्रार्थी संख्या 2 की कदीमि पिढियो से कब्जासुद मानकर जो निर्णय पारित किया वह सर्वथा विधि विरूद्व है। पत्रावली पर लेंशमात्र भी ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था जिससे यह प्रमाणित हो कि इस भूमि पर कब्जा अप्रार्थी संख्या 2 का कदीमि पिढियों से चला आ रहा हो। वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 का लेंशमात्र भी कोई कब्जा नहीं रहा बल्कि यह भूमि उक्त पटटा जारी करने से पूर्व निगरानीकर्ता की खरीदसुदा कब्जासुद पट्टासुद भूमि रही है। निरानीकर्ता की पटटासुद व खरीदसुदा भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत को अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी करने का कोई अधिकार नहीं था। फिर भी फर्जी व मिलावटी तरिके से निगरानीकर्ता की पट्टासुद भूमि का जो पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया है उसे निरस्त किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

2(7)– अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त प्रस्ताव पारित करने से पूर्व पंचायत अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों पर किसी भी प्रकार का कोई गौर नहीं किया। ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में नियम 266 के तहत पट्टाविलेख जारी किया जबकि नियम 266 राजस्थान पंचायत नियम 1961 के अन्तर्गत ऐसी भूमि का कब्जा

अपर कलक्टर, नागौर

50 वर्ष से अधिक का होना आज्ञापक है। जबकि हस्तगत प्रकारण में पट्टा विलेख दिनांक 25.03.1996 को जारी करने की तिथि तक अप्रार्थी संख्या 2 का लेंश मात्र भी कोई कब्जा नहीं था। फिर भी तत्कालीन सरपंच ने अप्रार्थी संख्या 2 से सांठ गांठ एवं मिलावट कर फर्जी पट्टा जारी किया जो निरस्त किये जाने योग्य है।

2(8)– ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा बनाते समय यदि भूमि का मूल्य 1000 से अधिक हो तो नियम 265 (3) के अनुसार उसे विकास अधिकारी की पूर्व स्वीकृति ली जाना आवश्यक थी। ऐसी कोई स्वीकृति नहीं ली गई इसलिये जो पट्टा जारी किया गया वह बिना किसी अधिकारिता के था तथा आरम्भ से ही अवैध व शून्य था। इसलिये निष्प्रभावी है। उक्त नियम 265 के प्रावधान नियम 266 के अन्तर्गत जारी किये जाने के पट्टो के लिये भी प्रभावित थे व है। जिसका उल्लेख नियम 268 में उल्लेखित किया है।

2(9)– अप्रार्थी संख्या 1 ने जिस भूमि पर पट्टा जारी किया है, उस भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 का मौके पर किसी भी प्रकार का कोई अस्तित्व पट्टा जारी होने से 100 वर्ष पूर्व भी नहीं था। सम्पूर्ण भूमि का स्वामित्व दिनांक 02.05.1912 से अमानमल मघराज पुत्र लालचन्द महाजन का था। जिसके पक्ष में तत्कालीन शासक द्वारा पट्टा विलेख भी जारी किया गया। इसके पश्चात इस भूमि के विवाद सक्षम सिविल न्यायालयों में भी निर्णित किये गये तथा समय समय पर पूर्व स्वामियों द्वारा इस भूमि को आगे से आगे विक्रय किया जाता रहा। अन्त में दिनांक 21.04.1994 व दिनांक 28.07.1994 को निगरानीकर्ता द्वारा यह भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेखो के तहत क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया गया तो ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 2 का इस भूमि पर कभी व पिढियों से कब्जा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

2(10)–ग्राम पंचायत के पास पट्टा हेतु आवेदन कब पेश किया गया, इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है और आवेदन में ऐसा भी उल्लेख नहीं किया गया है कि पट्टा प्राप्तकर्ता का किस प्रकार से कब्जा था। पट्टा जमीन का मांगा गया। परंतु जमीन पर कब्जे की स्थिति का कोई खुलासा आवेदन में नहीं किया गया। मात्र आवेदन पत्र पेश करने से कब्जा प्रमाणित नहीं होता जबकि पत्रावली में जो आवेदन अप्रार्थी संख्या 2 का पेश किया हुआ है उसमें आधिपत्य/कब्जे का आधार चारदीवारी व बाडा उल्लेखित है और जो आवेदन पट्टा हेतु पेश करना बतलाया गया है उसकी दिनांक 15.10.1995 अंकित है। इस प्रकार पट्टा प्राप्त करने के आवेदन में भी इस भूमि पर कब्जा अप्रार्थी संख्या 2 का प्रमाणित नहीं था। बल्कि चारदीवारी का निर्माण निगरानीकर्ता द्वारा करवाया गया था। निगरानीकर्ता की चारदीवारी की भूमि को अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अपनी होने का कथन करने का कोई अधिकार नहीं था। अप्रार्थी सं. 2 निगरानीकर्ता की कब्जासुद चारदीवारी भूमि के पटटे हेतु जो आवेदन अप्रार्थी सं. 1 के समक्ष पेश किया। वह पूर्ण रूप से विधिविरूद्ध था। अप्रार्थी संख्या 2 को भी दिनांक 15.10.1995 को इस बात की जानकारी थी वह जिस भूमि पर पट्टा प्राप्त करना चाहता है उस पर उसका कब्जा नहीं है और जो चारदीवारी बनी हुई वह निरानीकर्ता की खरीदसुदा भूमि है। इन तमाम तथ्यों को छिपाकर अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में प्रस्ताव संख्या 8 के तहत जो पट्टा जारी किया वह निरस्त किये जाने योग्य है।

2(11)–अप्रार्थी संख्या 1 के कर्मचारियों ने व पंचों ने तथा सरपंच ने मौके पर किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की मात्र कार्यालय में बैठकर खानापूर्ति की गई। यदि उक्त प्रस्ताव पारित करने से पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 के अधिकृत व्यक्तियों द्वारा मौका निरीक्षण किया जाता तो निश्चित रूप से मौके पर अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा नहीं मिलता। फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 ने मात्र खानापूर्ति करके प्रार्थी के पट्टासुद व खरीदसुदा भूमि का अवैध प्रस्ताव पारित कर दिनांक 25.03.1996 को पट्टा विलेख जारी कर दिया जो अवैध एवं विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2(12)– अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त प्रस्ताव पारित करने से पूर्व किसी प्रकार की आवप्ति एवं विज्ञप्ति के नोटिस प्रकाशित नहीं करवाये गये न ऐसे नोटिसेज की तामिल करवाई न मौके पर तामिल करवाई गई यहां तक कि पत्रावली में भी ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं था जिससे यह प्रमाणित हो कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त प्रस्ताव पारित करने से पूर्व आवप्ति एवं विज्ञप्ति की तामिल करवाई हो। पत्रावली पर ऐसे कोई नोटिस उपलब्ध ही नहीं है जिससे यह प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने कार्यालय में बैठकर मात्र खानापूर्ति की है। ऐसी स्थिति में निगरानीकर्ता की खरीदसुदा भूमि का जो पट्टा विलेख अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है उसे निरस्त किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

2(13)– राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 के नियम 157 में भी यह उल्लेखित है ऐसी भूमि का कब्जा 50 वर्ष से अधिक होना आवश्यक है तथा भूमि का नाम 300 वर्गगज से अधिक होने पर शेष भूमि की दर डीएलसी दर पर वसूल करने का प्रावधान है। जबकि हस्तगत प्रकरण में जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया वह 300 वर्गगज से अधिक थी। जिसकी डीएलसी दर से राशि प्राप्त नहीं की गई तथा 200 रूपये जिस रसीद से जमा होना बतलाया है वैसी रसीद ग्राम पंचायत द्वारा जारी ही नहीं की गई। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 ने लाखों रूपये की भूमि का विधिविरूद्व पट्टा जारी कर दिया।

11/1/25
अपर कलक्टर, नागौर

2(14)–अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त प्रस्ताव पारित करने से पूर्व मौके की कोई जांच नहीं की। कब्जे की कोई जांच नहीं की। पत्रावली पर फर्जी इकरारनामा पेश किया गया उस पर भी गौर नहीं किया। पंचायत अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों की पूर्ण रूप से अनदेखी करते हुए विधिविरूद्व अवैध प्रस्ताव पारित कर ऐसे अवैध प्रस्ताव की पालना में दिनांक 25.03.1996 को जारी किया गया पट्टा निरस्त किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

2(15)–अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व निगरानीकर्ता को न कोई इत्तला दी, न कोई सूचना दी यहां तक कि निगरानीकर्ता से निगरानीकर्ता का कब्जा एवं स्वामित्व रहते हुए भी निगरानीकर्ता को बिना सुने व बिना सबूत के अवैध व विधिविरूद्व प्रस्ताव जारी कर अवैध पट्टा जारी किया।

2(16)– निगरानीकर्ता ने जब यह भूमि पूर्व स्वामियों से दिनांक 21.04.1994 व दिनांक 28.07.1994 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के तहत क्रय की तथा कब्जा प्राप्त किया। तब उसी समय अप्रार्थी संख्या 2 को इस बात की जानकारी थी कि निरानीकर्ता ने यह भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर अपने पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित एवं पंजीबद्व करवा लिये। जब निगरानीकर्ता के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित एवं पंजीबद्व होने के दौरान स्वयं अप्रार्थी संख्या 2 ने जिला कलेक्टर नागौर एवं विकास अधिकारी नागौर के समक्ष यह झूठी शिकायत की कि घेवरचंद द्वारा जो भूमि खरीद की जा रही है वह भूमि अन्य स्थान पर है। तमाम सक्षम प्राधिकारियों ने शिकायतकर्ता अप्रार्थी संख्या 2 की शिकायते निराधार पाई गई। यहां तक कि अपर जिला कलेक्टर नागौर एवं उपखण्ड अधिकारी नागौर ने निगरानीकर्ता के टाईटल की एंव दस्तावेजों की पूर्ण जांच की जाकर यह परिणाम निकाला कि निगरानीकर्ता का स्वामित्व सही है फिर भी शिकायतकर्ता को किसी प्रकार की कोई गिरवेंसेज है तो वह सक्षम न्यायालय में उचित कार्यवाही कर सकते है। जिसका आदेश दिनांक 23.06.1995 को क्रमांक 1392 के तहत सचिव (अपर कलेक्टर) जिला सतर्कता समिति नागौर द्वारा पारित किया गया। जबकि ग्राम पंचायत ने इस भूमि का पटटाविलेख अप्रार्थी संख्या 2 के हक में दिनांक 25.03.1996 को जारी किया। इस प्रकार पटटा जारी करने से पूर्व स्वयं ग्राम पंचायत को व अप्रार्थी संख्या 2 को इस बात की जानकारी थी कि यह भूमि निगरानीकर्ता की खरीदसुदा है। जिनकी शिकायतों का निस्तारण भी सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निगरानीकर्ता के पक्ष में किया जा चुका है। फिर भी इन तमाम आदेशो की अनदेखी के पक्ष में किया जा चुका है फिर भी इन तमाम आदेशो की अनदेखी करते हुए तत्कालीन सरपंच ने अप्रार्थी संख्या 2 से मिलावट व सांठ गांठ कर फर्जी तरीके से ऐसा प्रस्ताव पारित कर अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पट्टा विलेख दिनांक 25.03.1996 को जारी किया जो निरस्त किये जाने योग्य है।

2(17)–अप्रार्थी संख्या 2 ने इस भूमि पर अपना हक अधिकार पंचायत का फैसला दिनांक 24.06.1956 को आधार बतलाकर आवेदन पेश किया है। जबकि ग्राम पंचायत का फैसला दिनांक 24.06.1956 वादग्रस्त भूमि से संबंध नहीं है। इस फैसले में वादग्रस्त भूमि का कोई उल्लेख नहीं है। फैसला दिनांक 24.06.1956 में भूमि का नाप पडौस उल्लेख नहीं है तथा पंचायत ने जो फैसला दिनांक 24.06.1956 को किया गया था वह वादग्रस्त भूमि नहीं थी बल्कि अन्य भूमि के फैसले को आधार बतलाकर निगरानीकर्ता की खरीदसुदा भूमि का पटटा विलेख ग्राम पंचायत द्वारा जारी कर दिया गया जो पूर्ण रूप से अवैध एवं विधि विरूद्व है।

2(18)–ग्राम पंचायत गोगेलाव ने पत्रावली संख्या 3/1995–96 के अन्तगत राजस्थान पंचायत नियम 1961 के नियम 266, 267, 268 में उल्लेखित प्रावधानों की कोई पालना नहीं की गई है। यहां तक कि पंचायत की पत्रावली संख्या 3/95–96 की सम्पूर्ण लिखवट व आदेशिका यानि सम्पूर्ण पत्रावली की लिखापढी स्वयं अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने हाथ से लिखी है। जबकि अप्रार्थी संख्या 2 को ग्राम पंचायत की किसी भी कार्यवाही को अपने हाथ से लिखने का कतैई अधिकार नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जो कार्यवही अपने हाथ से लिखकर सरपंच के हस्ताक्षर करवाये है। उससे यह प्रमाणित होता है कि ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा हस्तगत प्रकरण में कोई कार्यवही अपने हाथो से नहीं की गई है।

2(19)– सम्पर्ण पत्रावली में संकल्प संख्या 8 पारित होने का कोई उल्लेख नहीं है तथा पत्रावली में दिनांक 15.02.1996 को कोई संकल्प पारित करने का भी कोई उल्लेख नहीं है। जब दिनांक 15.02.1996 को पंचायत ने कोई संकल्प पारित ही नहीं किया तो बिना संकल्प पारित किये जो पटटा जारी कया है वह पूर्ण रूप से अवैध विधिविरूद्व तथा पंचायत अधिनियम के प्रावधानो के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

3– वकील अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अपनी बहस में बताया कि–

3(1)–प्रार्थी घेवरचंद चौरडिया ने गांव गोगेलाव की आबादी भूमि में अमानमल मेघराज पुत्र लालचंद महाजन निवासी गोगेलाव की पट्टासुद बताकर न्यायालय सिविल जज, नागौर से जरिये निलामी शिवप्रताप उर्फ भंवरलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण पारीक ने जरिये इजराय सेल सर्टिफिकेट वर्ष 1962 के जरिये स्वामित्व का टाईटल बताकर आगे से आगे विक्रय होकर घेवरचंद द्वारा विक्रय पत्र एवं इकरारनामा के जरिये अपना

11/2/15

अपर कलक्टर, नागौर

स्वामित्व टाईटल बताकर अप्रार्थी संख्या 02 आत्माराम पुत्र मानाराम जाति हरिजन निवासी गांव गोगेलाव के नाम से विधिवत जारी पट्टा के विरूद्व करीब 23 साल बात हस्तगत निगरानी मियाद बाहर व सरासर गलत आधारों पर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत है।

3(2)–पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद के संबंध में महत्वपूर्ण व वास्तविक स्थिति यह है कि निगरानी के संक्षिप्त तथ्यों में यह बताया गया है कि गोगेलाव के आबादी एरिया में नागौर से बीकानेर जाने वाली सडक के पश्चिम में स्थित जायगा 53065 वर्गगज भूमि अमानमल मेघराज पुत्र लालचंद कौम महाजन निवासी गोगेलाव की पट्टासुद भूमि थी पट्टा तत्कालीन महाराज सुमेरसिंह द्वारा दिनांक 2.5.1912 को जारी करना बताया है और तत्पश्चात वर्ष 1962 में इस सम्पूर्ण जायगा को न्यायालय सिविल जज नागौर ने निलाम कर निलामी से शिवप्रताप उर्फ भंवरलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण ने इजराय कार्यवाही से उक्त जायगा प्राप्त करना बताया व न्यायालय सिविल जज नागौर ने उक्त शिवप्रताप पारीक के पक्ष में सैल सर्टिफिकेट वर्ष 1962 में जारी करना बताया है।

उपरोक्त तथ्य निगरानीकर्ता को दस्तावेजात के आधार पर साबित करना था। मगर निगरानीकर्ता ने कथित सेल सर्टिफिकेट व सिविल जज नागौर के निर्णय की प्रमाणित प्रतियां पेश नहीं की है, जिससे उसका कथन माने जाने योग्य नहीं है। जबकि हस्तगत पट्टासुद भूमि पर अप्रार्थी आत्माराम के पिता मानाराम के कब्जा व उपयोग उपभोग की रही थी व सन 1955 से करीब 10–12 वर्ष पहले का कब्जा रहता चला आया व कालान्तर मे आत्माराम व मेहराम काबिज रहकर उपयोग उपभोग करते रहे। ग्राम पंचायत गोगेलाव ने विवादित जायगा के संबंध में उत्पन्न विवाद के संबंध में दिनांक 24.06.1956 निर्णय किया व कब्जा अप्रार्थी आत्माराम के पिता मानाराम का मान कर निर्णय किया गया। तत्पश्चात निरागनीकर्ता घेवरचंद व आत्माराम के बीच उक्त पट्टासुद जायगा के संबंध में विवाद होने पर दिनांक 25.05.1994 को विकास अधिकारी नागौर व लालसिंह भाटी प्रशासक ग्राम पंचायत गोगेलाव द्वारा आत्माराम की उक्त पटटासुदा जायगा की मौका रिपोर्ट तैयार की गयी। तत्पश्चात निगरानीकर्ता घेवरचंद ने आत्माराम के पक्ष में जारी पटटा के संबंध मेंएफ. आई.आर.नं. 309/97 जुर्म धारा 420, 467, 468, 471, 472, 120बी भा.द.सं. में दर्ज करवाया गया मगर पुलिस ने बाद अनुसंधान उक्त प्रकरण में एफ.आर. पेश की थी, जिस पर निगरानीकर्ता घेवरचंद ने प्रोटेस्ट पिटिशन पेश एफ.आर. का विरोध किया व प्रसंज्ञान लेने का निवेदन किया मगर न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर द्वारा उपरोक्त विवादित जायगा पर पहले से ही आत्माराम, मेहराम पिता मानाराम व फेफी उर्फ कमला का कब्जा मानते हुए व हस्तगत पट्टे को सही मानते हुए एफ.आर. स्वीकार की गयी। उक्त फैसले के खिलाफ निगरानीकर्ता घेवरचंद ने न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नागौर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी, उक्त निगरानी भी न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नागौर द्वारा खारिज की गयी, इस प्रकार उक्त पट्टासुदा जायगा पर अप्रार्थी संख्या 1 का लगातार कब्जा उपयोग उपभोग होना व उनके पक्ष में जारी पट्टा विधि सम्मत होना स्पष्ट था व है।

3(3) निगरानीकर्ता ने गांव गोगेलाव के आबादी एरिया में नागौर से बीकानेर जाने वाली सडक के पश्चिम में कुल जाएगा 53065 वर्गगज की भूमि अमानमल मेघराज पुत्र लालचंद जाति महाजन निवासी गोगेलाव की पट्टासुदा भूमि होना बताया है उक्त पट्टासुदा भूमि न्यायालय सिविल जज नागौर द्वारा वर्ष 1962 में शिवप्रताप उर्फ भंवरलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण पारीक ने इजराय कार्यवाही से प्राप्त करना बताया है जो कथित सेल सर्टिफिकेट वर्ष 1962 में जारी होना बताया। उक्त तथ्यों का अवलोकन करने पर यह तथ्य भी सामने आता है कि उपरोक्त पट्टा अमानमल मेघराज पुत्र लालचंद के नाम से 53065 वर्गगज का पट्टा तत्कालीन शासक सुमेरसिंह द्वारा जारी करना बताया जा रहा है। ग्राम पंचायत गोगेलाव द्वारा दिनांक 21.05.2012 को अपने प्रस्ताव में लालचंद महाजन के दो पुत्र अमानमल व मेघराज होना बताया है तथा अमानमल के दुलीचंद, भैरूदान, छोगमल, मुकनमल, हीराचंद व रेखचंद कुल 6 पुत्र अमानमल के बताये गये है तथा मेघराज के रूपचंद, सुगनमल, अमरचंद तीन पुत्र बताये गये है। शिवप्रताप उर्फ भंवरलाल ने रूपचंद वल्द मेघराज बौथरा साकिन नागौर के खिलाफ सिविल वाद पेश किया था, उपरोक्त वाद डिक्री किये जाने के पश्चात शिवप्रताप उर्फ भंवरलाल को रूपचंद वल्द मेघराज बौथरा की जमीन निलामी कर जरिये सेल सर्टिफिकेट शिवप्रताप उर्फ भंवरलाल ने प्राप्त की होना बताया है इस प्रकार से कुल जमीन 53065 वर्गगज में से 1/2 हिस्सा अमानमल का यानि 26532.5 वर्गगज हिस्सा अमानमल का बनता है तथा मेघराज का 1/2 हिस्सा यानि 26532.5 वर्गगज हिस्सा बनता है इस प्रकार मेघराज का कुल हिस्सा 26532.5 वर्गगज बनता है इस प्रकार मेघराज के तीन पुत्र होने से मेघराज के बंट में 1/2 हिस्से में से 1/4 हिस्सा ही रूपचंद पुत्र मेघराज के बंट में बनता है जिससे रूपचंद पुत्र मेघराज के खिलाफ सिविल वाद के जरिये उपरोक्त सुमेरसिंह द्वरा जारी सम्पूर्ण पट्टा भूमि 53065 वर्गगज की निलामी सिविल जज नागौर द्वारा किया जाना

11/4/21

अपर कलक्टर, नागौर

कतई संभव नही है इस प्रकार कथित नीलामी के जरिये सम्पूर्ण जायगा का सेल सर्टिफिकेट कतई जारी नहीं हो सकता है। सेल सर्टिफिकेट या अन्य कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि सेल सर्टिफिकेट के जरिये 53065 वर्गगज भुमि शिवप्रताप उर्फ भंवरलाल ने प्राप्त की हो।

3(4)–पट्टा संख्या 3 मिसल संख्या 3 दिनांक 25.03.1996 को आत्माराम पुत्र मानाराम एवं मेहराम पुत्र मानाराम एवं मेहराम पुत्र मानाराम के नाम ग्राम पंचायत गोगेलाव द्वारा विधिवत प्रक्रिया के तहत पट्टा जारी किया गया था मगर उक्त पट्टा के खिलाफ 23 साल बाद निगरानीकर्ता घेवरचंद ने हस्तगत निगरानी पेश की है जिसमें सहस्वामी पट्टाधारी मेहराम पुत्र. मानाराम आवश्यक पक्षकार को पक्षकार भी नहीं बनाया है जिससे उक्त प्रकरण में मेहराम के हित भी प्रभावित हो रहे है तथा मेहराम को पक्षकार नहीं बनाये जाने के आधार पर निगरानी पक्षकारो के असंयोजन/आवश्यक पक्षकारो के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है।

3(5)–ग्राम पंचायत गोगेलाव ने पटटा संख्या 3 दिनांक 25.03.1996 को सम्पूर्ण प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए आत्माराम पुत्र मानाराम व मेहराम पुत्र मानाराम हरीजन निवासीगण गोगेलाव के नाम से संयुक्त पटटा जारी किया गया जो राशी 1520 रू 10 पैसे ग्राम पंचायत में जमा करवा कर विक्रय विलेख/पटटा क्रेता के हक में सम्पादित कर पटटा जारी किया गया जो पटटा तत्कालीन सरपंच कन्हैयालाल कांकरिया एवं नायब सरपंच रफीक खां व ग्राम सेवक के हस्ताक्षर से जारी किया गया। उक्त भूमि पर पट्टाधारी व उनके पिता का कब्जा सन 1955 से 10–12 साल पहले से लगातार रहता चला आया है तथा तमाम तथ्यों की निगरानीकर्ता को भलीभांति जानकारी रही है मगर उक्त पट्टा के खिलाफ में कोई उचित कार्यवाही नहीं की गयी और हस्तगत निगरानी 23 साल बाद न्यायालय के समक्ष मियाद बाहर पेश की गयी है उक्त निगरानी में यह कहीं भी अंकित नहीं किया गया है कि 23 साल बाद निगरानी क्यों पेश की जा रहीं है व मियाद अवधि का कहीं अंकन नहीं किया है व निगरानी के साथ मियाद अधिनियम का आवेदन भी पेश नहीं किया है न ही देरी का कोई माकूल व पर्याप्त कारण सम्पूर्ण निगरानी में दर्ज है ऐसी स्थिति में निगरानी मियाद के बिन्दू पर ही निरस्त किये जाने योग्य है। मियाद के संबंध में न्यायिक दृष्टांत रेणुदेवी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 2016 (1)आर.जे.टी. पेज 99 की ओर ध्यान दिलाया। उक्त न्यायिक दृष्टांत में भी यह स्पष्ट किया है कि 24 वर्ष बाद निगरानी पेश की गयी, पंचायत ने आबादी भूमि आंवटित की, विलम्ब हेतु कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया, असामान्य विलम्ब के बाद पक्षकार को उपचार प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

3(6) अप्रार्थी संख्या 2 आत्माराम के पटटासुद प्लोट के संबंध में जारी हस्तगत पट्टा से वर्तमान तक मौके पर कब्जा लगातार आत्माराम व उसके परिजनों का रहा है, उक्त प्लोट के संबंध में दिनांक 24.06.1956 को ग्राम पंचायत गोगेलाव द्वारा निर्णय पारित किया गया। जिसमें यह बताया गया कि उक्त बाडा/जायगा पर 10–12 साल से कब्जा मेहराम का है मेहराम हरीजन के प्लोट पर हुसैन खां के किये गये अतिक्रमण को हटाने का आदेश पारित किया था। जिससे उक्त समय से कब्जा मेहराम हरिजन अप्रार्थी संख्या 2 आत्माराम के पिता का मानकर ग्राम पंचायत गोगेलाव द्वारा फैसला किया गया था। इसी प्रकार सन 1994 में घेवरचंद व आत्माराम के मध्य उक्त विवादग्रस्त प्लोट के संबंध में विवाद होने पर दोनो पक्षों की शिकायतों पर विकास अधिकारी नागौर व लालसिंह भाटी प्रशासक ग्राम पंचायत गोगेलाव द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार की गयी, मौके पर करीब 30 व्यक्ति मौजूद आये और सभी ग्रामीणो ने उक्त भूखण्ड मेहराम व आत्माराम हरीजन का होना बताया तथा मौका रिपोर्ट में उक्त प्लोट का नजरी नक्शा तैयार कर नाप चोप कर पडौस दर्ज कर चार गवाहान के बयान लिये, उक्त भूखण्ड मेहराम, आत्माराम हरिजन का बताया गया तथा मौका रिपोर्ट शामिल मिसल करने के साथ साथ प्रशासक ग्राम पंचायत गोगेलाव को निर्देशित किया गया कि इन हरिजनो के भूखण्ड पर किसी व्यक्ति विशेष या समाज का नाजायज कब्जा न होने देने के फलस्वरूप इस भूखण्ड का माप व नक्शा तस्दीक करे, जिससे कोई अतिक्रमी अतिक्रमण नहीं करे, जब भी पंचायत के पास अधिकार प्राप्त हो तब पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 266 के तहत भूमि विक्रय विलेख नियमानुसार दिया जा सके।

3(7) निगरानीकर्ता घेवरचंद ने एक इस्तगासा सी.जे.एम. कोर्ट नागौर मे पेश कर जाहिर किया कि उसके खरीदसुदा कब्जासुद भूभाग पर मेहराम, आत्माराम, फेफी उर्फ कमला के नाम विक्रय विलेख दिनांक 25.03.1996 को जारी कर दिया, वगैरा इस्तगासा पर पुलिस थाना नागौर में सीआर. नं. 309/दिनांक 1.8.1997 धारा 410, 467, 468, 471, 120बी भादसं में दर्ज कर अनुसंधान किया व अनुसंधान में बताया गया कि पटवारी हल्का गोगेलाव का रिकॉर्ड पंचायत द्वारा पेश किया गया जिसका अवलोकन किया। रेकर्ड के साथ पटवरी द्वारा तैयार किया गये नक्शा को देखा गया, जिस स्थान पर प्रार्थी घेवरचंद प्लोट नं. 6 बताता है वह जमीन जमाबंदी के आराजी नं. 303 रकबा 103 बीघा 4 बिस्वा है जो पुराने गांव गोगेलाव की आबादी का है इस आबादी के पश्चिम मे भंवरलाल उर्फ शिवप्रताप की जमीन दर्शायी गयी है पंचायत द्वारा कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुए एक प्लोट 80 गुणा 60 का 1520 रू. में आत्माराम, मेहराम को व एक प्लोट 60 गुणा 90

अपर कलक्टर, नागौर

फुट का दिनांक 15.10.1995 को 900 रू में फेफी उर्फ कमला को पट्टा जारी किया गया, जिसका इन्द्राज पंचायत के रिकॉर्ड में लेकर पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए जारी किया गया है इस संबंध में रेवेन्यु विभाग के अधिकारियों ने भी जांच की व उक्त आराजी को आबादी होना बताया। विकास अधिकारी नागौर द्वारा भी इस जमीन को सही मानते हुए आत्माराम को निर्देशित किया कि ग्राम पंचायत गोगेलाव से पट्टा बनाने की कार्यवाही करे। प्लोट आबादी जमीन में से काट कर दिये है। उपरोक्त आधार मानते हुए अनुसंधान अधिकारी ने उक्त प्रकरण अदम वकू सिविल नेचर का मानते हुए न्यायालय मे एफ.आर. पेश की जिस पर घेवरचंद ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर के न्यायालय मे प्रोटेस्ट पिटीशन पेश की व पत्रावली ट्रांसफर होने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर ने दिनांक 30.06.11 को आदेश पारित किया। जिसमें यह बताया गया कि परिवादी घेवरचंद ने अभियुक्तगण आत्माराम व कमला उर्फ फेफी द्वारा उसकी जमीन पर कब्जा करना बताया है व घेवरचंद द्वारा प्रस्तुत विक्रयपत्र दिनांक 28.7.94 जिसमें प्लोट संख्या 6 के पडौस में उतर में गांव गोगेलाव जाने का रास्ता, दक्षिण में गली व बाद मे विजयशंकर के प्लोट संख्या 4, 3, 2, के पूर्व में रास्ता बताया है तथा पश्चिम मे आसकरण व्यास का प्लोट संख्या 5 है व बाद मे हीरालाल चम्पालाल की जमीन है उपरोक्त प्लोट पर आत्माराम वगैरा द्वरा कब्जा करना बताया, आत्माराम, मेहराम के नाम पर ग्राम पंचायत गोगेलाव ने एक पटटा जारी किया है उक्त पटटा की सीमा के अनुसार पूर्व में नागौर–बीकानेर रोड, पश्चिम में मूलचंद दर्जी का बाडा, उत्तर में गली व आम रास्ता, दक्षिण में गफार खां का प्लोट व खालसा भूमि होना बतलाया है। जबकि परिवादी घेवरचंद के विक्रयपत्र में और मेहराम को जारी किये गये पट्टे की सीमा में काफी अन्तर है इस अधिकृत भूभाग पर पहले से ही आत्माराम, मेहराम व कमला उर्फ फेफी का कब्जा था और उनके कब्जे के निशानात भी पुराने है दिनांक 30.06.2011 को परिवादी घेवरचंद की प्रोटेस्ट पिटिशन न्यायालय ने खारिज कर दी। जिस पर निगरानीकर्ता ने अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नागौर के समक्ष निगरानी संख्या 56/11 पेश की जो दिनांक 7.8.15 को खारिज फरमाई गयी।

3(8) आत्माराम व मेहराम के पट्टे के संबंध में तथा सेल सर्टिफिकेट की जमीन के संबंध मे जहूरदीन पुत्र लाल मोहम्मद तेली निवासी गोगेलाव ने अपना शपथ पत्र दिनांक 22.12.1995 को निष्पादित किया जिसमें यह बताया गया कि उक्त सेल सर्टिफिकेट की जमीन नेशनल हाई व्हे से काफी दूर पश्चिम की तरफ है जबकि घेवरचंद पुत्र गणेशमल चौरडिया 16 बीघा राजकीय जमीन पर गुण्डा तत्वो की सहायता से जबरन कब्जा कर चारदीवारी का निर्माण कर कब्जा करना चाहते है। उपरोक्त शपथ पत्र शामिल पत्रावली है मगर तत्पश्चात घेवरचंद से उपरोक्त जमीन जहूरदीन द्वरा खरीद लिये जाने पर अब उक्त सेल सर्टिफिकेट वाली जमीन नेशनल हाई व्हे के पास होना बताया रहा है। इस प्रकार से उपरोक्त पटटासुद जायगा पर अप्रार्थी संख्या 2 आत्माराम के पिता मानाराम का कब्जा व उपयोग उपभोग सन 1955 से लगभग 10–12 साल पहले से रहता चला आया था तत्पश्चात आत्माराम व मेहराम का कब्जा उपयोग उपभोग रहता चला आ रहा है तथा अभी कुछ समय पूर्व आत्माराम व मेहराम के उक्त प्लोट एवं कमला उर्फ फेफी के पटटासुद प्लोट को घेवरचंद चौरडियां वगैरा द्वारा अपने धनबल व राजनेतिक पहुंच का सहारा लेते हुए तत्कालीन पुलिस अधिकारियों से उपरोक्त प्लॉट की कुर्की की कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी नागौर के यहां करवाते हुए तहसीलदार नागौर को रिसीवर नियुक्त करते हुए उपरोक्त दानो प्लोट्स पर कुर्की की कार्यवाही की गयी। उक्त कुर्की की कार्यवाही में रिसीवर तहसीलदार नागौर द्वारा पट्टा संख्या 3 मिसल संख्या 3 का पटटा आत्माराम व मेहराम से कब्जा रिसीवर द्वारा प्राप्त किया गया इस प्रकार स्पष्ट है कि मौके पर कब्जा शुरू से लेकर रिसीवर को कब्जा प्राप्त होने तक आत्माराम व उसके परिवार का ही रहा था इसी प्रकार से स्वयं निगरानीकर्ता घेवरचंद चौरडिया द्वारा जंवरूदीन को लिखे गये इकरारनामा में उपरोक्त बेचान किये गये प्लोट के पडौस जो बताये गये है इस प्रकार से है उतर में–लूकमान तेली, धर्माराम अजीज तेली व आत्माराम की जायगा। दक्षिण में गोपाल सोनी, आगे अखाराम को बेचा हुआ प्लोट, पूर्व में उतरादा पूर्व में भेराराम का प्लोट व बीकानेर हाई व्हे रोड है पश्चिम में ओमप्रकाश नाई व अन्य के प्लोट व मकान है। उपरोक्त इकरारनामा में जो पडौस बताये है उनमें उतर में आत्माराम की जायगा होना दर्शित किया गया है तथा पूर्व में भेराराम का प्लोट होना दर्शित किया गया है। उपरोक्त इकरारनामा निगरानीकर्ता घेवरचंद ने अपने हस्ताक्षर करके निष्पादित किया है उक्त इकरारनामा से स्वयं निगरानीकर्ता घेवरचंद ने आत्माराम व कमला उर्फ फैफी पत्नी भेराराम का प्लोट होना मन्जुर किया है जो इकरारनामा पत्रावली पर मौजूद है जिससे भिन्न कथन करने से निगरानीकर्ता घेवरचंद एस्टोप्ड है।

3(9) निगरानीकर्ता का मौके पर कभी उक्त जायगा पर कब्जा हक अधिकार नहीं रहा है जो पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है और बिना कब्जा, बिना स्वामित्व अधिकार के कथित निगरानी पोषणीय नहीं होने से इस आधार पर भी निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

अपर कलक्टर, नागौर

3(10) शिवप्रताप उर्फ भंवरलाल ने तथाकथित 6 प्लोट वर्ष 1981 में प्लोट लालचंद, विजयशंकर, जंवरीलाल, ओमप्रकाश व कन्हैयालाल को जरिये विक्रय विलेख विक्रय किये, जिससे निगरानीकर्ता घेवरचंद ने सन 1991 में कुछ प्लोट विक्रय विलेख से व कुछ प्लोट इकरारनामा से खरीदना बताया। निगरानीकर्ता घेवरचंद ने अखाराम बागडिया, गोपाल सोनी व जंवरूदीन को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया। निगरानीकर्ता घेवरचंद ने विवादित जायगा के संबंध में कथित इकरारनामा दिनांक 7.5.12 को एक स्टाम्प पेपर पर प्लोट नम्बर 1 से 6 कुल 6 प्लोट जंवरूदीन पुत्र लाल मोहम्मद तेली निवासी गोगेलाव को बेचान कर मौके पर कब्जा करवा देना बताया गया। उक्त विवादित जायगा में अब निगरानीकर्ता घेवरचंद के पास उक्त जमीन का कोई भूभाग शेष नहीं रहा, इस तथ्य की पुष्टि स्वय निगरानीकर्ता घेवरचंद के बयान जो न्यायालय सिविल जज नागौर में हुए उसमें स्वीकार किया है। जिन बयानो में उसने स्पष्ट कथन किया कि उक्त जमीन मैने बेच दी है, कोई शेष जमीन नहीं रही है। इस प्रकार निगरानीकर्ता घेवरचंद द्वरा प्रस्तुत दस्तावेज इकरारनामा, ग्राम पंचायत गोगेलाव की दीवार निर्माण स्वीकृति, ग्राम सभा द्वारा निर्माण स्वीकृति को निरस्त करने का प्रस्ताव एवं न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर में विचारीत दीवानी मूल प्रकरण संख्या 22/16, 110/13 के निर्णय दिनांक 2.3.2019 पैरा संख्या 7 पृष्ठ संख्या 6 में यह स्पष्ट किया गया है कि परिवादी संख्या 7 घेवरचंद ने विक्रय विलेखों, इकरारनामों व आम मुख्त्यारनामा के तहत समस्त भूमि को विक्रय कर क्रेतागण को कब्जा सुपुर्द कर दिया है। उपरोक्त क्रेतागण अखाराम बागडिया, जंवरूदीन, गोपाल सोनी वगैरा ने उपरोक्त प्लोट संख्या 1 से 6 के संबंध में ग्राम पंचायत गोगेलाव से दीवार निर्माण की स्वीकृति प्राप्त की गयी। इस प्रकार से प्लोट संख्या 1 से 6 निगरानीकर्ता घेवरचंद द्वारा बेचान कर दिये गये। उपरोक्त तथ्य की पुष्टि वाद के प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 द्वारा अपने सिविल वाद के पैरा संख्या 17 व पृष्ठ संख्या 10 में अंकित करते हुए अपने हस्ताक्षर कर जवाबदावा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिससे अब यह नहीं कहा जा सकता कि निगरानीकर्ता घेवरचद के पास कोई शेष जमीन है, जिससे अब निगरानीकर्ता घेवरचंद के पास जब कोई जमीन शेष रही ही नहीं तो उसका उक्त निगरानी इस पट्टा के संबंध में पेश करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है जिससे भी निगरानी पोषणीय नहीं है।

3(11) ग्राम गोगलाव की आम जनता की ओर से सिविल न्यायाधीश नागौर के समक्ष एक वाद बअनवान रमजान खां वगेरा बनाम अखाराम वगैरा सिविल वाद संख्या 22/2016 (110/13) एवं स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 112/2013 दर्ज करवाये गये। उक्त वाद में आत्माराम व मेहराम की पटटासुद जायगा एवं कमला उर्फ फेफी की पटटासुद जायगा के अतिरिक्त नेशनल हाई व्हे 89 के पश्चिम में स्थित खालसा भूभाग सरकारी जमीन ग्राम पंचायत की होना जाहिर करते हुए उपरोक्त वाद व स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किये गये। उक्त वाद में वादीगण को ग्राम पंचायत गोगेलाव ने अपने प्रस्ताव द्वारा अधिकृत कर रखा था। जो प्रस्ताव पत्रावली में पेश है। उक्त वाद के संलग्न प्रार्थना पत्र संख्या 112/2013 आदेश दिनांक 22.01.2014 के द्वारा आदेश यह अंकित किया गया कि 1966 में जरिये विक्रय पत्र अमानमल के वारीसान को आधी भूमि विक्रय पत्र के द्वारा लौटाई गई, फिर भी यदि शेष बची आधी भूमि को घेवरचंद वगैरा अपनी मानते भी है तो पूर्वी तरफ की उक्त भूमि के पूर्व में खालसा भूमि व नथु सुनाार, गोकुल जाट व घासी खाती के मकान आते है। जबकि उक्त शेष बची पूर्वी तरफ की भूमि को शिवप्रताप उर्फ भंवरलाल के पुत्र सत्यनारायण ने अपने परिवार के कर्ता खानदान होते हुए जो 6 प्लोट्स बेचान करना बताया है जिससे दर्शित होता है कि जो नथु सुनार पूर्वी तरफ निलामी में प्राप्त भूमि में था वह दक्षिण की तरफ किस प्रकार से आ गया? इस तथ्य को निगरानीकर्ता घेवरचंद वगैरा साबित नहीं कर पाये है। ग्राम पंचायत गोगेलाव की खुली पडी आबादी की खालसा भूमि रही है जिसमें ग्राम पंचायत गोगेलाव ने आत्माराम व मेहराम को सन 1995 में पुराने कब्जा के आधार पर विधिवत पट्टा जारी किया था, जिसमें उक्त भूमि को खालसा भूमि के रूप में दर्शित किया है। यदि उक्त भूमि खालसा भूमि न होकर निगरानीकर्ता घेवरचंद वगैरा की होती तो उसमें खालसा भूमि का अंकन नहीं आता। सेल सर्टिफिकेट की भूमि के संबंध में स्वयं जंवरूदीन ने शपथ पत्र सन 1995 में दिया था जिसमें निगरानीकर्ता घेवरचंद द्वारा उक्त खालसा भूमि पर कब्जा करने व चारदीवारी निर्माण करने बाबत आपति की थी, लेकिन अब जंवरूदीन द्वारा जरिये इकरारनामा उक्त विवादित प्लोट संख्या 6 खरीद लेने पर उक्त जमीन घेवरचंद की होना बताता है। नीलामी मे प्राप्त भूमि का पटटा व सेल सर्टिफिकेट में बताये गये आसे पासे, वादग्रस्त भूमि के आसे पासे से भिन्न है। सत्यनारायण द्वारा काटे गये 6 प्लोटो के आसे पासे निलामी मे प्राप्त की भूमि के आसो पासो से मेल नहीं खाते है। ग्राम पंचायत गोगेलाव द्वारा आत्माराम व मेहराम के पक्ष में जारी पटटे जिसमें तथाकथित निगरानीकर्ता घेवरचंद की जायगा ग्राम पंचायत में निहित करना दर्शित होता है। अमानमल के पटटे व निलामी में प्राप्त की गयी भूमि के आधार पर घेवरचंद अपना हक हिस्सा बता रहे है इसके संबंध में जो विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है उन विक्रय पत्रों के आसे पासे अमानमल के पटटे व सेल सर्टिफिकेट के आसे पासे से मेल नहीं खाते है। अमानमल का पटटा व सेल

अपर कलक्टर, नागौर

सर्टिफिकेट जिसमें बेचान की गयी भूमि का नाम दर्शित नहीं है। उपरोक्त आधार मानते हुए न्यायालय सिविल जज नागौर ने अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर निगरानीकर्ता घेवरचंद वगैरा को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया।

3(12) सिविल वाद संख्या 110/13 में न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश नागौर द्वारा निर्णय दिनांक 2.3.19 में यह अभिनिर्धारित किया गया कि निर्णय के पैरा संख्या 34 में यह अंकित किया गया है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 के अनुसार ग्राम पंचायत के द्वारा बिना अधिकार के प्रतिवादी संख्या 7 घेवरचंद के स्वामित्व की भूमि पर आत्माराम के हक में पटटा जारी किया गया है परन्तु आत्माराम के पटटे की भूमि आत्माराम व घेवरचंद के मध्य विवादित होते हुए भी इस प्रतिनिधि दावे में विवादित भूमि नहीं है। उक्त जनहित वाद में तनकी संख्या 1 के अनुसार उक्त सरकारी खालसा भूमि है, को साबित करने का भार वादीगण पर था मगर वादीगण ने वाद पत्र मे न तो वादग्रस्त खालसा भूमि का नाप चोप दिया और न ही नक्शा वाद पत्र के साथ संलग्न किया गया तथा राजस्व रेकर्ड से खालसा भूमि साबित न कर पाने व ग्राम पंचायत द्वारा एक बार प्रतिवादीगण अखाराम बागडिया, जंवरूदीन, गोपाल सोनी को एन.ओ.सी. देने के आधार पर खालसा भूमि साबित करने में असफल माना गया। यहा यह दर्शित करना भी आवश्यक है कि ग्राम पंचायत गोगेलाव द्वारा उपरोक्त एनओसी देने के पश्चात ग्राम सभा द्वारा दी गयी उपरोक्त एनओसी को निरस्त कर दिया, फिर भी न्यायालय सिविल जज नागौर द्वारा उपरोक्त तनकी उक्त सरकारी खालसा भूमि को साबित करने मे वादीगण को असफल माना है। जनहित वाद की तनकी सं. 4 आया ग्राम पंचायत गोगेलाव ने अनेको प्रस्ताव मे वादग्रस्त भूमि पंचायत की मानी है? उक्त तनकी मे न्यायालय ने अभिमत दिया कि वाद पत्र व जवाबदावा के अभिकथनो को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण सं. 1 से 7 की इस तथ्य से कोई जानकारी नही है कि आपने कुछ प्रस्तावो मे ग्राम पंचायत मे वादग्रस्त भूमि का पंचायत की भूमि होना माना है, स्वयं ग्राम पंचायत ने प्रतिवादी सं. 8 के रूप मे वाद का उतर देते हुए वाद का समर्थन किया है। लिहाजा यह तनकी वादीगण के हक मे निर्धारित की जाती है। इस प्रकार से तनकी सं. 1 वादीगण की त्रुटियो को आधार मानकर एवं ग्राम पंचायत द्वारा एक बार एनओसी जारी कर देने के आधार पर तनकी सं. 1 को साबित करने मे असफल माना है तथा तनकी सं. 4 के अनुसार तथाकथित घेवरचंद वगैरा की पटटासुद जायगा को ग्राम पंचायत की भूमि होना मान कर उपरोक्त तनकी वादीगण के हक मे निर्धारित की गयी। उक्त जनहित वाद ग्रामवासी गोगेलाव की तरफ से पेश किया गया था न कि केवल आत्माराम द्वारा पेश किया गया। उक्त वाद मे वादग्रस्त भूमि अलग थी आत्माराम व कमला उर्फ फेफी की पटटासुद जायगा के संबंध मे कोई विवाद उक्त सिविल वाद मे न तो था और न्यायालय अतिरिक्त सिविल जज नागौर द्वारा अपने निर्णय मे स्पष्ट कर दिया कि आत्माराम का पटटा इस वादग्रस्त जायदाद से भिन्न है। उक्त निर्णय में वाद खारिज किया गया मगर निगरानीकर्ता घेवरचंद व पूर्व स्वामीयो के पक्ष में उक्त विवादग्रस्त भूमि के स्वामित्व को प्रमाणित कहीं पर भी नहीं माना गया है।

3(13) सिविल वाद संख्या 110/2013 के उतरवाद में पृष्ठ संख्या 12 के पैरा संख्या 19 में निगरानीकर्ता घेवरचंद स्वयं ने यह स्वीकार किया कि आत्माराम व फेफी उर्फ कमला के हक में जो पटटा जारी किये गये उनके विरूद्व घेवरचंद ने पट्टो को चुनोती देते हुए पंचायत के निर्णय के विरूद्व पंचायत समिति नागौर में अपील पेश की जो लम्बित है। प्रथम तो जब पट्टो को सक्षम ऑथेरिटी पंचायत समिति नागौर में अपील पेश कर रखी थी तो यह पश्चातवर्ती निगरानी करने का उनको उधिकार भी नहीं था दोयम में उक्त पंचायत समिति नागौर में लम्बित निगरानी/अपील के तथ्यो को जानबूझ कर न्यायालय हाजा से छुपाया गया है एक ही अनुतोष के संबंध में दो अलग-अलग न्यायालयों में कार्यवाहीयां कतई नहीं चल सकती है यह निगरानी पश्चातवर्ती कार्यवाही है इस कारण भी निरस्त किये जाने योग्य है इस प्रकार स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता घेवरचंद क्लीन हैंड से नहीं आया है वास्तविक तथ्य न्यायालय हाजा से छुपा कर मेलाफाईड इन्टेनशन से निगरानी पेश की है।

3(14) निगरानीकर्ता घेवरचंद अपनी निगरानी में मुख्यतः यह आधार लिया है कि ग्राम पंचायत गोगेलाव ने अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पटटा जारी कर पट्टा नियम 266 राजस्थान पंचायत नियम 1961 के अन्तर्गत ऐसी भूमि का कब्जा 50 वर्षों से अधिक का होना आज्ञापक है उपरोक्त नियमन की पालना नहीं होने पर पटटा खारिज करने का कथन किया है। यहां यह उल्लेखनीय तथ्य है कि ग्राम पंचायत गोगेलाव द्वारा उक्त पटटा केवल आत्माराम के पटटा में जारी नहीं किया गया है जबकि आत्माराम व मेहराम दोनो के पक्ष में पटटा नियम 266 राज पंचायत अधिनियम 1961 की पूर्ण अनुपालना करते हुए ऐसी भूमि का कब्जा 50 वर्षो से अधिक का होना मानते हुए पटटा जारी किया गया है जो नियमानुसार जारी किया गया है। उपरोक्त पट्टा/प्लोट के संबंध में पूर्व में विवाद आत्माराम व पिता मानाराम हरिजन निवासी गोगेलाव व हुसेन खां के मध्य हुआ, जिसका फैसला ग्राम पंचायत गोगेलाव ने दिनांक 24.06.56 को किया जिसमें स्पष्ट बताया गया कि मानाराम हरिजन की जमीन के हिस्से पर हुसैन खां द्वारा जबरदस्ती कब्जा कर अतिक्रमण किया है शेष

11/4/25

अपर कलक्टर, नागौर

बाडे की जमीन खालसा है उक्त निर्णय के द्वारा मानाराम हरिजन के उक्त प्लोट पर से हुसेन खां को अतिक्रमण हटाने के लिए आदेशित किया गया, उस समय मानाराम ने 12–13 साल से कब्जा होना जाहिर किया था। सन 1994 में निगरानीकर्ता घेवरचंद व आत्माराम के पक्ष्य विवाद होने पर विकास अधिकारी नागौर व लालसिंह भाटी प्रशासक ग्राम पंचायत गोगेलाव ने दिनांक 25.05.1994 को मौका रिपोर्ट तैयार की थी, मौके पर करीब 30 व्यक्ति मौजूद थे, सभी ग्रामीणो ने उक्त भूखण्ड मेहराम व आत्माराम हरिजन का बताया व मौका पर मुबारक खां, भेराराम, जमाल खां, ओमप्रकाश के बयान लिये गये, सभी ने हल्फिया बयान दिये कि यह भूखण्ड हरिजनो का है। उक्त गवाहान के बायान, मौका, नाप, नक्शा व ग्रामीणो से किये गये सम्पर्क से मेरी राय में उक्त भूखण्ड का स्वामित्व दे दिया जाना उचित प्रतीत होता है, विकास अधिकारी ने आदेशित किया कि उक्त मौका रिपोर्ट शामिल मिसल करने के साथ साथ प्रशासक ग्राम पंचायत गोगेलाव को निर्देशित किया जाता है कि इस हरिजनो के भूखण्ड पर किसी व्यक्ति विशेष या समाज का नाजायज कब्जा न होने देने के फलस्वरूप उस भूखण्ड का माप व नक्शा तस्दीक करे जिससे कोई अतिक्रमी अतिक्रमण नहीं करे, जब भी पंचायत के पास अधिकार प्राप्त हो तब पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 266 के तहत भूमि विक्रय विलेख नियमानुसार दिया जा सके। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि आत्माराम व मेहराम का कब्जा 50 वर्ष पूर्व का न रहा हो।

3(15) निगरानीकर्ता घेवरचंद ने यह आपति जाहिर करते हुए उक्त पटटा निरस्त करने का कथन किया कि 10234 वर्गफुट का पटटा बिना पूर्व अनुमति के जारी नहीं किया जा सकता, पटटा जारी करने से पूर्व विकास अधिकारी से किसी प्रकार की कोई स्वीकृति/अनुमति अथवा अनुमोदन प्राप्त नहीं किया, यह आधार भी निगरानीकर्ता का बिल्कुल गलत व निराधार है। प्रथमतः उक्त पटटा 10234 वर्गफुट का केवल एक आत्माराम के नाम होना सरासर गलत बता रहे है उक्त पटटा आत्माराम व मेहराम दोनो के नाम जारी है जिसे उक्त पटटा दोनो के नाम होने से उक्त क्षेत्रफल भी आधा आधा रहेगा। विकल्प में यह भी है कि विकास अधिकारी नागौर द्वारा उपरोक्त पटटा जारी करने के लिए पूर्व में सन 1994 में प्रशासक ग्राम पंचायत गोगेलाव को निर्देशित किया जा चुका था।

3(16) निगरानीकर्ता घेवरचंद ने यह आपति की है कि ग्राम पंचायत द्वारा पटटा बनाते समय भूमि का मूल्य 1000 रूपये से अधिक हो तो नियम 265(3) के अनुसार उसे विकास अधिकारी की पूर्व स्वीकृति ली जाना आवश्यक थी, यह आधार भी निगरानीकर्ता का स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह पटटा आत्माराम व मेहराम दो व्यक्तियों के नाम से जारी किया गया है जिससे उक्त भूमि का मूल्य भी विभाजन होने पर 1000 रू से कम हो जाता है जिससे विकास अधिकारी की पूर्व स्वीकृति ली जाना आवश्यक नहीं है विकल्प में यह भी है कि विकास अधिकारी के आदेश सन 1994 के आदेश की पालनार्थ ही उपरोक्त पटटा ग्राम पंचायत गोगेलाव द्वारा जारी किया गया था जिससे स्वतः अनुमति/स्वीकृति व अनुमोदन रहा है। इस प्रकार यह साबित है कि विकास अधिकारी नागौर की स्वीकृति थी।

3(17) तथाकथित अमानमल के हक मे पटटा दिनांक 23.04.1911 को तत्कालीन जोधपुर दरबार सुमेरसिंह द्वारा जारी करना बताया है उक्त पटटे के पडौस निम्न प्रकार है– पूर्व में राजमार्ग नागौर, पश्चिम में सुजिया बेटा गणेश ब्राह्मण, उतर में ब्राह्मण गणेश, बुन्दूखां, अमानमल, मूला सरगरा, दक्षिण में मार्ग व जूना जागिरदार बख्तावरसिंह को खेडो खं. न. 209 उक्त जमीन को निगरानीकर्ता के अनुसार शिवप्रताप उर्फ भंवरलाल पुत्र लक्ष्मीनारामयण ने जरिये निलामी सेल सर्टिफिकेट द्वारा प्राप्त करना बताया है सेल सर्टिफिकेट के पडौस निम्न प्रकार है–उतर में चम्पालाल बोथरा पूनाराम ब्राह्मण, अलादीन तेली, मूला सरगरा भेरू दर्जी, दक्षिण में सडक व आम रास्ता, पश्चिम में सडक व आम रास्ता, पूर्व में खालसा जमीन व उससे आगे नथू सुनार, गोकुल जा घासी खाती वगैरा बताये है।

3(18) उपरोक्त कथित सेल सर्टिफिकेट वाली जमीन का आधा हिस्सा निगरानीकर्ता घेवरचंद द्वारा खरीदना निगरानी में बताया गया है। उपरोक्त सेल सर्टिफिकेट का प्रथम विक्रय पत्र दिनांक 11.02.1966 को निष्पादित करना बताया है, जिसमें जो पडौस बताये गये है उक्त पडौस सेल सर्टिफिकेट एवं अमानमल के पक्ष में जारी पटटा के पटटा के पडौस से भिन्न है। इसी प्रकार सेल सर्टिफिकेट, अमानमल के पक्ष में जारी पटटा व 1966 में हुए विक्रय पत्र में बताये गये पडौस एक दुसरे से आसे पासे मेल नहीं खाते है। जिससे यह नहीं कहा जा सकता है कि अमानमल के पक्ष में जारी पटटा की भूमि ही सिविल जज नागौर के द्वारा निलाम की गयी हो तथा यह भी नहीं कहा जा सकता कि सविल जज नागौर के द्वारा निलाम की गयी भूमि ही दिनांक 11.02.1966 को विक्रय की गयी हो। इस प्रकार से निगरानीकर्ता स्पष्ट रूप से उपरोक्त स्वामित्व की पटटासुद व सेल सर्टिफिकेट की भूमि को विवादग्रस्त भूमि साबित करने में असफल रहा है।

अपर कलक्टर, नागौर

4– वकील अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से अपनी बहस में बताया कि–

4(1) प्रश्नगत प्रस्ताव व पटटा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम एवं राजस्थान पंचायत राज नियम 1961 व 1996 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना किये बिना ही पारित किये गये है ऐसी स्थिति में प्रश्नगत प्रस्ताव एवं पटटा निरस्त होने योग्य है।

4(2) प्रश्नगत पटटा व प्रस्ताव राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 के आबादी भूमि निस्तारण के नियम 140 से लेकर 157 तक जो प्रावधान दिये गये है उन आज्ञापक प्रावधानों की पालना किये बिना ही पारित किया गया है इसलिए प्रश्नगत पटटा व प्रस्ताव विधि विरूद्व होने व नियमों के विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है।

4(3) प्रश्नगत पटटा व प्रस्ताव जिस भूमि के संबंध में जारी किया गया है। उक्त प्रश्नगत भूमि ग्राम पंचायत गोगेलाव के स्वामित्व की नहीं है व राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1961 के प्रावधानो व नियमों के विपरीत जाकर प्रस्ताव एवं पटटा जारी किया गया है, जो निरस्त होने योग्य है।

4(4) प्रश्नगत भूमि प्रार्थी गुलाब के पिता स्वर्गीय भंवरलाल की खरीद सुदा भूमि है जो स्वर्गीय भंवरलाल ने दिनांक 24.07.1971 को खरीद की है। जो भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है निगरानी जो घेवरचंद द्वारा जिस भूमि को स्वयं के स्वामित्व की होना बताया जा रहा है वह भूमि घेवरचंद के स्वामित्व की नहीं है व न ही उक्त भूमि के संबंध में घेवरचंद का किसी प्रकार का हक अधिकार है। घेवरचंद को ऐसी निगरानी पेश करने का अधिकार नहीं है। उक्त भूमि प्रार्थीया गुलाबदेवी के पिता स्वर्गीय भंवरलाल की दिनांक 24.07.71 के विक्रय पत्र के जरिए खरीदसुदा भूमि है जिसके संबंध में किसी प्रकार का पटटा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत गोगेलाव को नहीं है। प्रार्थिया के पिता की खरीद से पूर्व उक्त विवादित जायगा स्वर्गीय शिवप्रताप उर्फ भंवरलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण पारीक के स्वामित्व की थी। जिस जायगा से निगरानीकर्ता घेवरचद का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं था। उक्त विक्रयपत्र की जानकारी घेवरचंद को शुरू से रही है घेवरचंद का उक्त भूमि का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। बल्कि उक्त भूमि प्रार्थीया के स्वामित्व की भूमि है जो न्यायालय द्वारा निलामी के दौरान विक्रय की गई व तत्पश्चात प्रार्थीया की खरीदसुदा भूमि है जिसमें प्रार्थीया का हक अधिकार निहित करता है ऐसी भूमि के संबंध में पटटा जारी करने का ग्राम पंचायत को किसी प्रकार का अधिकार नहीं है व न ही उक्त भूमि ग्राम पंचायत में निहित नहीं करती है इसलिए ग्राम पंचायत को उक्त भूमि का पटटा जारी करने का किसी प्रकार का अधिकार नहीं है इसलिए उक्त पटटा व प्रस्ताव विधि विरूद्व तरीके से जारी किये गये है जो एक अवैध प्रस्ताव व पटटे की श्रेणी में आता है इसलिए अपास्त होने योग्य है।

5– वकील प्रार्थी ने वकील अप्रार्थी सं. 2 की बहस का विरोध करते हुए पुनः बहस करते हुए बताया कि पंचायत अधिनियम के नियम 266 अन्तर्गत ऐसी भूमियो का पटटा जारी किया जाता है जिस पर कब्जाधारी व्यक्ति का पिछले 50 वर्षो से अधिक समय से हो। परंतु हस्तगत प्रकरण मे वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी सं. 2 का लेंशमात्र कोई कब्जा न तो कभी रहा और न है। सम्पूर्ण भूमि मौके पर खुली है। विधि अनुसार खुली भूमि का पटटा कब्जे के आध्धर पर जारी नहीं किया जा सकता। यह सर्वथ गलत है कि अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा पंचायत का निर्णय दिनांक 4.06.1956 से चला आया हो। हुसैन खां व मानाराम हरिजन के मध्य हुई कार्यवाही का वादग्रस्त भूमि से कोई सम्बंध नहीं है। इस बिन्दु का निस्तारण भी सिविल न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता के पक्ष में किया जा चुका है। निगरानीकर्ता ने कभी भी किसी भी सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य, प्रधान अथवा पंचायत का कोई भी पदाधिकारी को दबाव व प्रभाव में लेकर कोई मिथ्या शपथ पत्र पेश नहीं करवाया है। बल्कि जब से ग्राम पंचायत गोगेलाव स्थापित हुई है। तब से जो जो व्यक्ति सरपंच व पंच रहे है उन्होंने अपनी शपथ पत्रों में वादग्रस्त भूमि पूर्व में अमानमल की पट्टासुद भूमि होना व घेवरचंद की खरीदसुदा भूमि होने के शपथ पत्र अवश्य पेश किये है। इन शपथ पत्रों के संबंध में भी सक्षम सिविल न्यायालयों ने अपना निर्णय कर दिया है। इस कारण से अप्रार्थी संख्या 2 की लिखित बहस में कोई ठोस आधार नहीं है। इस कारण से निरानीकर्ता की मूल निगरानी स्वीकार की जाना उचित एवं न्यायसंगत है। ग्राम पंचायत को 10234 वर्ग फीट भूमि का पटटा ग्राम पंचायत को अपने स्तर पर जारी करने का अधिकार नहीं है। परन्तु अप्रार्थी संख्या का यह कथन असत्य है कि इस पटटे में से आधा पटटा आत्माराम का व आधा पटटा मेहराम का होना सर्वथ असत्य है बल्कि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव अन्तर्गत सम्पूर्ण भूमि का एक ही पटटा जारी किया है और इस नाप की भूमि का पटटा ग्राम पंचायत को अपने स्तर पर जारी करने का अधिकार नहीं है। इस कारण से निगरानीकर्ता की निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाना न्यायोचित है।

11/4/25

अपर कलक्टर, नागौर

6– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत गोगेलाव द्वारा मिसल संख्या 3/1995–96 में पट्टा जारी करने हेतु पारित संकल्प संख्या 8 दिनांक 15.02.1996 के जरिये दिनांक 25.03.1996 को पटटा संख्या 03 जारी किया गया, को निरस्त किये जाने को लेकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा विधिवत ग्राम पंचायत में पट्टा बनाने हेतु आवेदन किया जाना प्रतीत होता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की पालना करते हुए ग्राम पंचायत ने तीन पंचों की नियुक्ति कर मौका निरीक्षण रिपोर्ट भी ली गई है। ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायती राज के नियमों की पालना करते हुए विधिवत नोटिस जारी किया गया है तथा नोटिस की प्रति पर दो गवाहों के हस्ताक्षर भी है। ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 15.02.1996 के प्रस्ताव सं. 8 के अनुसार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही पट्टा जारी किया गया है। जिसमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। पट्टे के अवलोकन से प्रतीत होता है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अनुसार रसीद संख्या 65 दिनांक 25.03.1996 द्वारा 1520.10 रूपये जमा कर पट्टा जारी करने का विनिश्चय किया गया है। इस प्रकार प्रतीत होता है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही पट्टा जारी किया गया है, ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

7– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

8– निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर